UPJB010034792026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा ।

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–889/2026

रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र रामकेश, निवासी ग्राम जेवड़ा, थाना रहरा, जिला अमरोहा।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

एवं

UPJB010034802026

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–890/2026

सुभाष शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा , निवासी ग्राम घरखौदा, थाना रहरा, जिला अमरोहा ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

एवं

UPJB010034812026

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–891/2026

अभी शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा , निवासी ग्राम घरखौदा, थाना रहरा, जिला अमरोहा ।

....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–84/2025
धारा 110, 352, 115(2), 126(2),
118(1) बी.एन.एस. ,
थाना रहरा , जिला अमरोहा।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.06 15:17:35 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण

दिनांकः 06.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में अभिरक्षा में निरूद्ध प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रवि उर्फ रविन्द्र,, सुभाष शर्मा एवं अभि शर्मा** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त तीनों पृथक–पृथक जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

02. उपरोक्त तीनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना व अपराध से सम्बन्धित होने के कारण इनको एक ही आदेश के द्वारा निर्णीत किया जाना उपयुक्त है।

03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.04.2025 को समय करीब 05.00 बजे शाम वादी मुकदमा का भाई लाभ भाटी घर से बाहर अपना कुत्ता घुमा रहा था तभी वहीं पर सुभाष शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा व अभी शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा , निवासी ग्रीम खरखौदा थाना रहरा जिला अमरोहा व रवि उर्फ रविन्द्र पुत्र रामकेश निवासी ग्राम जेवड़ा थाना रहरा जनपद अमरोहा आये और उसके भाई का रास्ता रोककर कहा सुनी करने लगे तथा गाली–गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी, उसके भाई के सिर में किसी धारदार या भारी वस्तु से वार कर गम्भीर रूप से चोट मारी जिससे उसका भाई मेहोश होकर गिर गया और जब उसे व उसके घरवालों को इस बात का पता चला। शोर शराबा सुनकर वादी मुकदमा के घरवाले उसके भाई को वहां से उठाकर लाये। उसके भाई के सिर में काफी खून वह रहा था।

04. प्रार्थी/अभियुक्त **रवि उर्फ रविन्द्र** की ओर से कहा गया कि उसे मुकदमें में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है, वह पूर्णतयाः निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी के विरूद्ध दर्शित अपराध काल्पनिक तथ्यो पर आधारित है तथा पूर्णतया आधार हीन है। प्रार्थी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा, इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

05. प्रार्थी/अभियुक्त **सुभाष शर्मा** की ओर से कहा गया कि उसको उक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरूद्ध कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा, इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

06. प्रार्थी/अभियुक्त **अभि शर्मा** की ओर से कहा गया कि उसको उक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। वह पूर्णतया निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरूद्ध कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करेगा, इसलिए जमानत की याचना की गयी है।

07. अभियोजन/वादी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि गंभीर प्रकृति का अपराध है , इसलिए अभियुक्तों के जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है।

07. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित केस डायरी का सम्यक अवलोकन किया गया। इन जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैः–

01. मामले की विवेचना पूरी होकर आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अपराध का संज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्तगण के हाजिर हाने के लिए सम्मन जारी किये गये हैं।

02. विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है न ही विवेचा के दौरान अभियुक्तगण को फरार हो जाना बताया गया है।

03. अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

04. पीड़ित लाभ भाटी के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में पीड़ित को कुल चार चोटें दर्शायी गयी है , जिनमें चोट संख्या 3 सूजन और कंट्यूशन है, चोट संख्या 4 शरीर में दर्द है। चिकित्सक ने दोनों को ही साधारण प्रकृति का बताया है। दो चोटें गंभीर बतायी गयी है, जिनमें पहली चोट सिर पर 5 X 0.8 cm. का घाव है जिससे खून निकल रहा था और चोट संख्या 2 नाक से खून आना बताया गया है। सिर की किसी हड्डी का फ्रेक्चर, सिर में कहीं थक्का जमना चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में नहीं पाया गया है।

08. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जा रही है–

1. अभियुक्तगण पत्रावली में अभियुक्तगण नियत तिथि या उससे पूर्व सम्बन्धित विचारण/सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थितियों से न्यायालय को अवगत कराते हुए **संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का बन्धपत्र और या निर्धारित प्रतिभूति/प्रतिभूतियां निष्पादित करके जमानत का लाभ प्राप्त करेंगे।**

2. न्यायालय द्वारा विचारण की स्वतन्त्रता के लिए जो भी विधिसम्मत शर्ते अपने आदेश में तय की जायेंगी , उनका पालन करेंगे।

3. शर्तों के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर विधिसम्मत आदेश पारित करने का अधिकार होगा।

4. दौरान वाद यदि अभियुक्तगण अपने या कोई जमानती अपना निवास/पता परिवर्तित करता है, तो उसकी सूचना 7 दिन के भीतर पत्रावली पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध करवायेंगे।

5. विचारण के दौरान कार्यवाही को बाधित नहीं करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी भंग किये जाने की सूचना जैसे ही विचारण न्यायालय को प्राप्त होगी, वह आवश्यक जाँच करने के उपरान्त यदि संतुष्ट होता है कि किसी शर्त को भंग किया गया है, तो जमानत को निरस्त कर देगा और अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में ले सकेगा।

दिनांक–06.06.2026

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
अमरोहा।